कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/2001/ 452 दिनांकः 8 फरवरी,2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकथाम संबधी समिति के सबंध में ।

संदर्भ :– निदेशालय के पत्र क्रमांक 767 दिनांक 13.12.2011, 200 दिनांक 13.9.2012 एवं 343 दिनांक 19.12.12

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्र्तत संदर्भित पत्रो के संबध में राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकथाम संबधी समिति का क्षेंत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा :–

1. राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी /अधिकारी द्वारा यौनउत्पीड़न की शिकायत का समिति द्वारा निस्तारण किया जावेगा।
2. कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकथाम संबधी समिति के द्वारा ही राजकीय महाविद्यालयों में छात्राओं के द्वारा लगाये गये आरोप की जॉच करने एवं उस पर निर्णय करने का अधिकार होगा।
3. महाविद्यालयो में गठित समिति के स्तर पर यदि कोई निर्णय नहीं होता है तो प्राचार्य उस शिकायत को निदेशालय में गठित कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकथाम संबधी समिति के समक्ष भिजवायेगे।

भवदीय
अ. कोठारी 8 2 13
(डा अनिता कोठारी)
अध्यक्षा
कार्यस्थल पर कामकाजी
महिलाओं का यौन उत्पीडन
रोकथाम संबधी समिति
कालेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

क्रमांकः एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/2001/ 453 दिनांकः 8 फरवरी,2013

प्रतिलिपि :–

डा धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता प्रभारी वेबसाइट का भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने को श्रम करावे।

अ. कोठारी 8. 2. 13
(डा अनिता कोठारी)